एफ.संख्या 5(2)-बी(पी.डी.)/2015 भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम - 2015-2016 के दौरान वाहन खरीदने के लिए ब्याज की दर।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान अर्थात् पहली अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अविध में वाहनों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत किए जाने वाले अग्रिमों के लिए ब्याज की दरें निम्नानुसार है:-

ब्याज की वार्षिक दर

(i) मोटर-कार को छोड़कर अन्य वाहन खरीदने के लिए अग्रिम (अर्थात मोटर-साइकिल, स्कूटर आदि)

9 प्रतिशत

(ii) मोटर-कार खरीदने के लिए अग्रिम

11.5 प्रतिशत

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लागू दरों में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ए.के. भटनागर)

अवर सचिव (बजट)

सेवा में

- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के एकीकृत वित्त प्रभाग, लेखा नियंत्रकों और वेतन एवं लेखा कार्यालयों के लिए अतिरिक्त प्रतिलिपियों सिहत।
- 2. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

- 1. भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक, नई दिल्ली।
- 2. महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली।
- 3. रक्षा महालेखा नियंत्रक, नई दिल्ली।
- 4. सभी महालेखाकार और लेखा निदेशक।
- 5. भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
- 6. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

(ए.के. भटनागर) अवर सचिव (बजट) F.No. 5(2)-B(PD)/2015 Government of India Ministry of Finance Department of Economic Affairs

New Delhi, the 3rd February, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Advances to Government servants — Rate of interest for purchase of conveyances during 2015-2016.

The undersigned is directed to state that the rates of interest for advances sanctioned to the Government servants for purchase of conveyances during 2015-2016 i.e. from 1st April, 2015 to 31st March, 2016 are as under:

Rate of interest per annum

(i) Advance for purchase of conveyance other than motor car (viz. motor cycle, scooter etc.)

9%

(ii) Advance for purchase of motor car

11.5%

The rates remain unchanged from those applicable for the financial year 2014-15.

(A.K. Bhatnagar)
Under Secretary (Budget)

To

- All Ministries/Departments of the Government of India with spare copies for Integrated Finance Division (IFD), Controller of Accounts and Pay and Accounts Offices.
- 2. Finance Secretaries of UTs without legislature.

Copy forwarded to:-

- 1. C&AG of India, New Delhi.
- 2. C.G.A., New Delhi.
- 3. C.G.D.A., New Delhi.
- 4. All AGs and Director of Accounts.
- Supreme Court of India.
- 6. UPSC, New Delhi.

(A.K. Bhatnagar)
Under Secretary (Budget)

Printed by Ministry of Finance (Press)-072016